

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या -1046/2024
अनवान : -

1. विजयकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. साहबराम पुत्र कनीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
2. अनिलकुमार पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
3. नरेशकुमार पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
4. जगदीश पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
5. जितेश गोदारा पुत्र जगदीश चन्द जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
6. मनीषा पुत्री जगदीश जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
7. गंगादेवी पुत्री माडूराम उर्फ मनीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
8. जमनादेवी पुत्री माडूराम उर्फ मनीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
9. सरस्वती पुत्री माडूराम उर्फ मनीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
10. नोपराम पुत्र माडूराम उर्फ मनीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
11. सुरेन्द्रकुमार पुत्र माडूराम उर्फ मनीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
12. रामजीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
13. ओमप्रकाश पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
14. हरिसिंह पुत्र ओमप्रकाश पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
15. मनोज पुत्री ओमप्रकाश पत्नी धर्मपाल जात जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर हाल निवास कर्मशाना तहसील नोहर।
16. विनोदकुमार पुत्र अमरसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
17. नरेशकुमार पुत्र अमरसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
18. सीमादेवी पत्नी अमरसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
19. राजबाला पुत्री अमरसिंह पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी ढण्डेला तहसील नोहर हाल निवास रामगढ़ तहसील नोहर।
20. कुलदीपसिंह पुत्र धर्मसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
21. अनिलकुमार पुत्र धर्मसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
22. राजेश पुत्री धर्मसिंह पत्नी बुधराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर हाल निवास माक्सुरानी तहसील नत्थुसरी चौपटा जिला सिरसा।
23. नारायणी पुत्री ख्यालीराम पत्नी हरदयाल जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर हाल निवास धीरवास छोटा तहसील तारानगर।
24. तीजादेवी पुत्री ख्यालीराम पत्नी साहबराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर हाल निवासी बाईया तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
25. सुभाष पुत्र नन्दराम पुत्र टिकूराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
26. जसवन्त पुत्र नन्दराम टिकूराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
27. शारदा पुत्री नन्दराम पत्नी हरिसिंह जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर हाल निवास बैरासरी तहसील सिरसा।
28. सन्तरोँ पुत्री नन्दराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर हाल निवास बैरासरी तहसील सिरसा।
29. कृष्णा पुत्री नन्दराम पत्नी शिशपाल जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर हाल निवास किरढान तहसील फतेहाबाद जिला फतेहाबाद।

30. सुमित्रा पुत्री नन्दराम पत्नी राजेश जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर हाल निवास किरढान तहसील फतेहाबाद।

31. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0
अधि0 1955


उपस्थिति :- श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 10/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढण्डेला के ख0न0 280 की 27.01 बीघा व ख0न0 281 की 1 बीघा 8 बिस्वा कुल 28 बीघा 9 बिस्वा भूमि जिसमें ख्यालीराम पुत्र मालु का 1/4 हिस्सा, पतराम का 1/4 हिस्सा, न्यौलाराम का 1/4 हिस्सा, टिकुराम का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हुए तथा पतराम पुत्र मालु ने अपना हिस्सा हीरा व मनीराम पुत्र न्यौला को फरोख्त कर दिया तथा जो हिस्सा ख्याली पुत्र मालु के नाम उक्त भूमि में से 1/4 हिस्सा है उसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है।

ख्याली पुत्र मालु फौत हो चुके हैं तथा उसके दो लड़के अमरसिंह पुत्र धर्मसिंह भी फौत हो चुके हैं ख्यालीराम के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 23 है जो ख्यालीराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि के हकदार व खातेदार है टिकू पुत्र मालु का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 25 ता 30 है जो की टीकु पुत्र मालु के नाम दर्ज भूमि के खातेदार है। न्यौलाराम पुत्र मालुराम का देहान्त हो चुका है तथा हीराराम का लड़का मोडूराम उर्फ मनीराम फौत हो चुका है तथा हीराराम का लड़का मोडूराम उर्फ मनीराम फौत हो चुका है कनीराम पुत्र न्यौलाराम के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है जो की कनीराम के नाम दर्ज भूमि के खातेदार है। हीराराम पुत्र न्यौलाराम व काडूराम उर्फ मनीराम पुत्र हीराराम के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 11 है जो की हीराराम के व काडूराम के नाम दर्ज भूमि के खातेदार है। रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता स0 180/156 के ख0न0 280 व 281 की कुल 7.1960 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 24 चोहदो 1/4 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 15 चारों 1/6 हिस्सा के तथा प्रतिवादी स0 12 अकेला 1/6 हिस्सा का व प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 19 बहिब 1/6 हिस्सा के व प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 22 बहिब 1/6 हिस्सा के व प्रतिवादीगण स0 23 व 24 प्रत्येक 1/6 हिस्सा की तथा प्रतिवादीगण संख्या 25 ता 30 बहिब 1/4 हिस्सा के व प्रतिवादी स0 1 ता 3 बहिब 1/8 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 बहिब 1/8 हिस्सा के व प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 11 बहिब 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण संख्या 23 व 24 वादी व प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 22 की बहिने है तथा प्रतिवादी स0 23 व 24 ने अपना हक हिस्सा सहमति से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 14 व 16 व 17 व 20, 21 के पक्ष में बहिब


उपखण्ड अधिकारी
नोहर


परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी स० 15 जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 की बहिने है व पुत्री हैने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स० 13 व 14 के पक्ष में सहमति से बहिब परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 19 प्रतिवादी स० 16 व 17 की माता व बहिन है ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स० 16 व 17 के पक्ष में बहिब परित्याग कर दिया है प्रतिवादी स० 22 जो की प्रतिवादी स० 20 व 21 की बहिने है प्रतिवादी स० 22 ने अपना हक हिस्सा 20 व 21 के पक्ष में परित्याग कर दिया है प्रतिवादीगण स० 27 ता 30 जो की प्रतिवादी संख्या 25 व 26 की बहिने है ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादीगण स० 25 व 26 के पक्ष में बहिब परित्याग कर दिया है प्रतिवादीगण संख्या 23 व 24 व 15 व 18 व 19 व 22 व 27 ता 30 द्वारा अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वादी व प्रतिवादी स० 13 व 14 तीनो बहिब 1/16 हिस्सा के तथ प्रतिवादी स० 12 अकेली 1/16 हिस्सा की तथा प्रतिवादी स० 16 व 17 बहिब 1/16 हिस्सा के व प्रतिवादी स० 20 व 21 बहिब 1/16 हिस्सा के व प्रतिवादी स० 25 व 26 बहिब 1/4 हिस्सा के तथा प्रतिवादी स० 1 ता 3 बहिब 1/8 हिस्सा के, प्रतिवादी स० 4 व 6 तीनो बहिब 1/8 हिस्सा के व प्रतिवादी स० 7 ता 11 बहिब 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। मगर हाल राजस्व रिकार्ड में मृतक ख्यालीराम के 1/4 हिस्सा की बजाय 1/6 हिस्सा व टिकूराम के नाम भी 1/4 हिस्सा की बजाय 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के नाम हक से ज्यादा भूमि दर्ज है जिससे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 30 के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 30 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 30 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 31 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण न्यौलाराम, ख्यालीराम, टिकूराम, नन्दराम शपथ पत्र बाबत सदस्य दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि ख्याली पुत्र मालु के नाम उक्त भूमि में से 1/4 हिस्सा है उसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। ख्याली पुत्र मालु फौत हो चुके हैं तथा उसके दो लड़के अमरसिंह पुत्र धर्मसिंह भी फौत हो चुके हैं ख्यालीराम के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 23 है जो ख्यालीराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि के हकदार व खातेदार है टिकू पुत्र मालु का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 25 ता 30 है जो की टीकु पुत्र मालु के नाम दर्ज भूमि के खातेदार है। न्यौलाराम पुत्र मालुराम का देहान्त हो चुका है तथा हीराराम का लड़का मोडूराम उर्फ मनीराम फौत हो चुका है तथा हीराराम का लड़का मोडूराम उर्फ मनीराम फौत हो चुका है कनीराम पुत्र न्योलाराम के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है जो की कनीराम के नाम दर्ज भूमि के खातेदार है। हीराराम पुत्र न्यौलाराम व काडूराम उर्फ मनीराम पुत्र हीराराम के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 11 है जो की हीराराम के व काडूराम के नाम दर्ज भूमि के खातेदार है। प्रतिवादीगण संख्या 23 व 24 वादी व प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 22 की बहिने है तथा प्रतिवादी स0 23 व 24 ने अपना हक हिस्सा सहमति से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 14 व 16 व 17 व 20, 21 के पक्ष में बहिब परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी स0 15 जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 की बहिने है व पुत्री हैने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 13 व 14 के पक्ष में सहमति से बहिब परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 19 प्रतिवादी स0 16 व 17 की माता व बहिन है ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स0 16 व 17 के पक्ष में बहिब परित्याग कर दिया है प्रतिवादी स0 22 जो की प्रतिवादी स0 20 व 21 की बहिने है प्रतिवादी स0 22 ने अपना हक हिस्सा 20 व 21 के पक्ष में परित्याग कर दिया है प्रतिवादीगण स0 27 ता 30 जो की प्रतिवादी संख्या 25 व 26 की बहिने है ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादीगण स0 25 व 26 के पक्ष में बहिब परित्याग कर दिया है प्रतिवादीगण संख्या 23 व 24 व 15 व 18 व 19 व 22 व 27 ता 30 द्वारा अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वादी व प्रतिवादी स0 13 व 14 तीनो बहिब 1/16 हिस्सा के तथ प्रतिवादी स0 12 अकेली 1/16 हिस्सा की तथा प्रतिवादी स0 16 व 17 बहिब 1/16 हिस्सा के व प्रतिवादी स0 20 व 21 बहिब 1/16 हिस्सा के व प्रतिवादी स0 25 व 26 बहिब 1/4 हिस्सा के तथा प्रतिवादी स0 1 ता 3 बहिब 1/8 हिस्सा के, प्रतिवादी स0 4 व 6 तीनो बहिब 1/8 हिस्सा के व प्रतिवादी स0 7 ता 11 बहिब 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काशतकार है। मगर हाल राजस्व रिकार्ड में मृतक ख्यालीराम के 1/4 हिस्सा की बजाय 1/6 हिस्सा व टिकूराम के नाम भी 1/4 हिस्सा की बजाय 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के नाम हक से ज्यादा भूमि दर्ज है जिससे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 30 के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढण्डेला बारानी तहसील नोहर के खाता स० 180/156 की कुल 7.1960 हैक्ट भूमि में ख्यालीराम, टीकूर, माडूराम उर्फ मनीराम के नाम संयुक्त खाता मे दर्ज है वादी का कथन है कि ख्याली पुत्र मालु के नाम उक्त भूमि में से 1/4 हिस्सा है उसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। ख्याली पुत्र मालु फौत हो चुके है तथा उसके दो लड़के अमरसिंह पुत्र धर्मसिंह भी फौत हो चुके है ख्यालीराम के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 23 है जो ख्यालीराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि के हकदार व खातेदार है टिकू पुत्र मालु का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 25 ता 30 है जो की टीकु पुत्र मालु के नाम दर्ज भूमि के खातेदार है। न्यौलाराम पुत्र मालुराम का देहान्त हो चुका है तथा हीराराम का लड़का मोडूराम उर्फ मनीराम फौत हो चुका है तथा हीराराम का लड़का मोडूराम उर्फ मनीराम फौत हो चुका है कनीराम पुत्र न्यौलाराम के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है जो की कनीराम के नाम दर्ज भूमि के खातेदार है। हीराराम पुत्र न्यौलाराम व काडूराम उर्फ मनीराम पुत्र हीराराम के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 11 है जो की हीराराम के व काडूराम के नाम दर्ज भूमि के खातेदार है। प्रतिवादीगण संख्या 23 व 24 वादी व प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 22 की बहिने है तथा प्रतिवादी स० 23 व 24 ने अपना हक हिस्सा सहमति से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 14 व 16 व 17 व 20, 21 के पक्ष में बहिब परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी स० 15 जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 की बहिने है व पुत्री हैने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स० 13 व 14 के पक्ष में सहमति से बहिब परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 19 प्रतिवादी स० 16 व 17 की माता व बहिन है ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स० 16 व 17 के पक्ष में बहिब परित्याग कर दिया है प्रतिवादी स० 22 जो की प्रतिवादी स० 20 व 21 की बहिने है प्रतिवादी स० 22 ने अपना हक हिस्सा 20 व 21 के पक्ष में परित्याग कर दिया है प्रतिवादीगण स० 27 ता 30 जो की प्रतिवादी संख्या 25 व 26 की बहिने है ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादीगण स० 25 व 26 के पक्ष में बहिब परित्याग कर दिया है प्रतिवादीगण संख्या 23 व 24 व 15 व 18 व 19 व 22 व 27 ता 30 द्वारा अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है बाद हक त्याग वादी व प्रतिवादी स० 13 व 14 तीनों बहिब 1/16 हिस्सा के तथ प्रतिवादी स० 12 अकेली 1/16 हिस्सा की तथा प्रतिवादी स० 16 व 17 बहिब 1/16 हिस्सा के व प्रतिवादी स० 20 व 21 बहिब 1/16 हिस्सा के व प्रतिवादी स० 25 व 26 बहिब 1/4 हिस्सा के तथा प्रतिवादी स० 1 ता 3 बहिब 1/8 हिस्सा के, प्रतिवादी स० 4 व 6 तीनों बहिब 1/8 हिस्सा के व प्रतिवादी स० 7 ता 11 बहिब 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काशतकार है। मगर हाल राजस्व रिकार्ड में मृतक ख्यालीराम के 1/4 हिस्सा की बजाय 1/6 हिस्सा व टिकूराम के नाम भी 1/4 हिस्सा

की बजाय 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के नाम हक से ज्यादा भूमि दर्ज है जिससे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 30 के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 30 को कोई ऐतराज नहीं है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्डेला बारानी तहसील नोहर के खाता स० 180/156 की कुल 7.1960 हैक्ट भूमि में मृतक ख्यालीराम व मृतक टीकूराम पुत्र मलू, मृतक माडूराम उर्फ मनीराम पुत्र हीराराम उर्फ हराराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स० 13 व 14 तीनों बहिब 1/16 हिस्सा के तथा प्रतिवादी स० 12 अकेला 1/16 हिस्सा की तथा प्रतिवादी स० 16 व 17 बहिब 1/16 हिस्सा के व प्रतिवादी स० 20 व 21 बहिब 1/16 हिस्सा के व प्रतिवादी स० 25 व 26 बहिब 1/4 हिस्सा के तथा प्रतिवादी स० 1 ता 3 बहिब 1/8 हिस्सा के, प्रतिवादी स० 4 व 6 तीनों बहिब 1/8 हिस्सा के व प्रतिवादी स० 7 ता 11 बहिब 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/3/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या -1046/2024


अनवान : -

1. विजयकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. साहबराम पुत्र कनीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
2. अनिलकुमार पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
3. नरेशकुमार पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
4. जगदीश पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
5. जितेश गोदारा पुत्र जगदीश चन्द जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
6. मनीषा पुत्री जगदीश जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
7. गंगादेवी पुत्री माडूराम उर्फ मनीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
8. जमनादेवी पुत्री माडूराम उर्फ मनीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
9. सरस्वती पुत्री माडुराम उर्फ मनीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
10. नोपराम पुत्र माडुराम उर्फ मनीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
11. सुरेन्द्रकुमार पुत्र माडुराम उर्फ मनीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
12. रामजीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
13. ओमप्रकाश पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
14. हरिसिंह पुत्र ओमप्रकाश पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
15. मनोज पुत्री ओमप्रकाश पत्नी धर्मपाल जात जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर हाल
निवास कर्मशाना तहसील नोहर।
16. विनोदकुमार पुत्र अमरसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
17. नरेशकुमार पुत्र अमरसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
18. सीमादेवी पत्नी अमरसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
19. राजबाला पुत्री अमरसिंह पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
हाल निवास रामगढ़ तहसील नोहर।
20. कुलदीपसिंह पुत्र धर्मसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
21. अनिलकुमार पुत्र धर्मसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
22. राजेश पुत्री धर्मसिंह पत्नी बुधराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर हाल
निवास माक्सुरानी तहसील नत्थुसरी चौपटा जिला सिरसा।
23. नारायणी पुत्री ख्यालीराम पत्नी हरदयाल जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर
हाल निवास धीरवास छोटा तहसील तारानगर।
24. तीजादेवी पुत्री ख्यालीराम पत्नी साहबराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर
हाल निवासी बाईया तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
25. सुभाष पुत्र नन्दराम पुत्र टिकूराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
26. जसवन्त पुत्र नन्दराम टिकूराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
27. शारदा पुत्री नन्दराम पत्नी हरिसिंह जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर हाल
निवास बैरासरी तहसील सिरसा।
28. सन्तरोँ पुत्री नन्दराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर हाल निवास बैरासरी
तहसील सिरसा।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

29. कृष्णा पुत्री नन्दराम पत्नी शिशपाल जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर हाल निवास किरढान तहसील फतेहाबाद जिला फतेहाबाद।
30. सुमित्रा पुत्री नन्दराम पत्नी राजेश जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर हाल निवास किरढान तहसील फतेहाबाद।
31. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1046 सन 2024 निर्णय दिनांक 10/03/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्डेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 180/156 की कुल 7.1960 हैक्ट भूमि में मृतक ख्यालीराम व मृतक टीकूराम पुत्र मलू, मृतक माडूराम उर्फ मनीराम पुत्र हीराराम उर्फ हरिराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 13 व 14 तीनों बहिब 1/16 हिस्सा के तथा प्रतिवादी स0 12 अकेला 1/16 हिस्सा की तथा प्रतिवादी स0 16 व 17 बहिब 1/16 हिस्सा के व प्रतिवादी स0 20 व 21 बहिब 1/16 हिस्सा के व प्रतिवादी स0 25 व 26 बहिब 1/4 हिस्सा के तथा प्रतिवादी स0 1 ता 3 बहिब 1/8 हिस्सा के, प्रतिवादी स0 4 व 6 तीनों बहिब 1/8 हिस्सा के व प्रतिवादी स0 7 ता 11 बहिब 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर